



प्रेषक,

सचिव
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
भिवानी।

प्रेषित,

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,
प्रदेश के सभी राजकीय व गैर-राजकीय विद्यालय।

क्रमांक:— 844/शैक्षिक/A-7

दिनांक:—18.09.2026

विषय:—भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित PM-Vidyalaxmi Scheme के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत करवाया जाता है कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा **PM-Vidyalaxmi Scheme** प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (Quality Higher Education Institutions) में प्रवेश हेतु **Collateral-free** एवं बिना गारंटर (**Guarantor-free**) ऋण उपलब्ध करवाना है। जिन पात्र विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है, उन्हें 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान (**Interest Subvention**) प्रदान किया जाता है, वहीं जिन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये तक है, उन्हें **PM-USP Central Sector Interest Subvention Scheme** के अंतर्गत 10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर पूर्ण ब्याज अनुदान (**Full Interest Subvention**) का लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे आर्थिक कारणों से किसी भी पात्र विद्यार्थी की उच्च शिक्षा बाधित न हो।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विद्यालय के वर्ष-2026 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके सभी विद्यार्थियों तक निम्न संदेश पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि पात्र विद्यार्थी उक्त योजना से लाभान्वित हो सकें—

हस्ता—
सहायक सचिव (शैक्षिक)
कृते: सचिव